

फर्ट अहकाम

(नियम 15)

ज अदालत उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करौली)

जगरामदास बनाम कमरुद्दीन वगैरे

सम मुकदमा नं. 13/10 सन 200

दवा

गोख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17/10

दावा वारी वकील सी हंसराज गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 88 राज. 2: एम्ट इस्तफराहद पेश किया। दावा दर्ज रजिस्ट्रार सभस प्रतिवादी गण को जारी कर दिनांक 21/3/10 को पेश हो।

1656+58
17-2-10

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

23/10

वारी वकील उपस्थित। प्रतिवादी गण के राखण बाद लागू प्राप्त। प्रतिवादी नं. 1 को और से शकिकु हेतु गण एंड. ने भी पेश कर वकालत पेश करने सभस चादा। 16.2 को और से R. B. उपस्थित सभ. ने वकालत पेश कर जवाब को राखण चादा। 16.3 को और से बसपुदे सुचना को उपस्थित वकील उक्त किशुद एक पक्षीय कार्यवाही राखण से लाई जाती है। वरिष्ठ पेश करने वकालत प्रतिवादी नं. 1 व जवाब राम प्रतिवादी 15/4/10 को पेश हो।

5/10

बार एसो द्वारा विहायनी कार्य स्थगित रखा गया। गानेश्वर डिव 6/5/10 को पेश हो।

13/10 - अजरामदाल vs अजरामदीन कोठ

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

6/11/17

पत्रावली पेश हुई। कई बार आवाज दिलाई गई
फिर भी कादी वकील एवं कादी में से कोई भी
उपस्थित नहीं है। अतः यह दावा अदम हाजिरी
एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैल्लुल सुमार होकर नब्वले का होकर दाखिल
दफतल है।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)